HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2344/2025

Chhapanlal S/o Hajarilal, Aged About 68 Years, R/o Phoolbarod, Police Station Harnavdashaji, Dist. Baran Rajasthan. (Petitioner Is In Sub Jail Chhabra).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ali Mohammed Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/02/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– हरनावदा शाहजी, जिला– बाराँ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 5/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त हरिराम से वाणिज्यिक मात्रा में अफीम डोडा चूरा की बरामदगी हुई है और अभियुक्त हरिराम द्वारा अपने पूछताछ नोट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दर्शित किया गया है। उक्त पूछताछ नोट के अतिरिक्त ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त माल अन्य सहअभियुक्त हरिराम को सप्लाई किया हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.01.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया और प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न पत्रावली रहे।

उनका तर्क है कि प्रकरण में मुख्य अभियुक्त से वाणिज्यिक मात्रा में परिवहन करते हुए डोडा चूरा की बरामदगी हुई है तथा उसने उक्त माल प्रार्थी/अभियुक्त से प्राप्त करना बताया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तथ्यात्मक रिपोर्ट में इसी तथ्य का उल्लेख है कि अन्य सहअभियुक्त ने अपने पूछताछ नोट में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त डोडा चूरा सप्लाई करना बताया है। उक्त पूछताछ नोट के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.01.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **छप्पनलाल पुत्र हजारीलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 294